सदर अस्पताल, छपरा

निविदा सूचना

सदर अस्पताल, छपरा मे कैटीन एवं साईकिल/मोटरसाईकिल स्टैन्ड हेतु व्यक्तिगत/फॉर्म/कम्पनी/सोसाईटी/गैर सरकारी संस्था से मुहरबंद निविदा निम्नलिखित शर्तो के अधीन आमंत्रित की जाती है। निविदा दो प्रकार की यथा 1. तकनीकी 2. वित्तीय होगी। दोनो प्रकार की निविदा अलग–अलग लिफाफे में रखकर एक बड़े लिफाफे में भेजनी है।

तकनीकी भागः–

1. निविदादाता के पास पैन कार्ड संस्था का निबंधन प्रमाण–पत्र एवं दो वर्ष का आयकर रिर्टन 2016–17 एवं 2017–18 होना चाहियें। व्यक्तिगत निविदादाता को निबंधन प्रमाण–पत्र की आवष्यकता नही है।
2. निविदा के साथ 5000/– (पॉच हजार) सिक्यूरीटी मनी का ड्राफ्ट रोगी कल्याण समिति, सदर अस्पताल छपरा के नाम से संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. निविदा उपाधीक्षक, सदर अस्पताल छपर, सदर अस्पताल परिसर, के पते पर निबंधित डाक से मोहरबंद लिफाफा में दिनांक 28.01.2019 के अपराह्न 5.00 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिए। विलंब से प्राप्त कराये गये निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. निविदादाता की अनुपस्थिति में भी निविदा खोला जा सकेगा। निविदा दिनांक 29.01.2019 को 02 PM बजे उपाधीक्षक, सदर अस्पताल छपरा के कार्यालय कक्ष में खोली जाएगी, जिसमें निविदादाता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।
5. निविदादाता अपना पूरा पता, दूरभाष संख्या एवं मोबाईल संख्या निश्चित रुप से निविदा के साथ संलग्न करेंगे।
6. रोगी कल्याण समिति, सदर अस्पताल छपरा का निर्णय सर्वमान्य एवं अंतिम होगा।
7. रोगी कल्याण समिति, सदर अस्पताल छपरा को निविदा को पूर्णतः रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
8. समाग्री का दर बाजार मूल्य दर से अधिक नही होना चाहीए।
9. कैन्टीन का वार्षिक न्यूनतम किराया 36000/– होगा एवं साईकिल/मोटरसाईकिल स्टैन्ड का वार्षिक न्यूनतम किराया 12000/– होगा। निर्धारित न्यूनतम किराया से कम दर वाले निविदा पर विचार नही किया जाएगा।
10. कैन्टीन एवं साईकिल/मोटरसाईकिल स्टैन्ड का रख–रखाव एवं साफ–सफाई की जिम्मेवारी चयनित व्यक्ति/संस्था को करनी होगी।
11. कैन्टीन हेतु चयनित व्यक्ति/संस्था को अनुबंध के समय खादय विभाग द्वारा निर्गत निबंधन प्रमाण–पत्र देना अनिवार्य होगा।
12. कैन्टीन एवं साईकिल/मोटरसाईकिल स्टैन्ड हेतु चयनित व्यक्ति/संस्था को अनुबंध के समय वार्षिक किराया का राशि रोगी कल्याण समिति के खाता मे जमा करना होगा।
13. चयनित व्यक्ति/संस्था के द्वारा नियामो का पालन नही करने पर एक माह का नोटिस देते हुए कार्यादेश/अनुबंध को रद्द किया जा सकता है।
14. चयनित व्यक्ति/संस्था को बिजली, साफ–सफाई एवं पानी की व्यवस्था स्वयं करना होगा।
15. चयनित व्यक्ति/संस्था के साथ सर्वप्रथम अनुबंध एक वष के लिए किया जाएगा जिसका कार्य संतोषप्रद होने की स्थिती मे रोगी कल्याण समिति के द्वारा निर्णय लेकर तीन वर्ष के लिए विस्तार किया जाएगा।
16. साईकिल/मोटरसाईकिल स्टैन्ड हेतु चयनित संस्था के द्वारा निम्न शुल्क लिया जायेगा– साईकिल–02 रू0, मोटरसाईकिल–05 रू0 एवं बड़ी गाड़ी–10 रू0।

वित्तीय भागः–

निविदादाता को निम्न प्रपत्र में वित्तीय निविदा सीलबंद लिफाफे में भरकर देना होगा।

कार्य का नाम	वार्षिक किराया
कैन्टीन (वार्षिक न्यूनतम किराया 36000/– से कम नही होना चाहीए)	
साईकिल/मोटरसाईकिल स्टैन्ड (वार्षिक न्यूनतम किराया 12000/– से कम नही होना चाहीए)	

नोट– जिनका वार्षिक किराया अधिक होगा उनको चयनित किया जाएगा।

5.1.19
उपाधीक्षक
सदर अस्पताल, छपरा।

5.1.19
सिविल सर्जन सह अधीक्षक
सदर अस्पताल, छपरा।